

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग,

पिकप भवन, तृतीय तल, गोमती नगर,

लखनऊ-226010

संख्या-42/08/विज्ञापन अनुभाग (ग्यारह)/08-परीक्षा/2024

लखनऊ: दिनांक 20 जून, 2024

शुद्धि-पत्र-03

आयोग के विज्ञापन संख्या-08-परीक्षा/2024, अवर अभियंता (सिविल) मुख्य परीक्षा (प्रा0अ0प0-2023)/08 के अंतर्गत विभिन्न विभागों के नियंत्रणाधीन अवर अभियंता (सिविल)/ सहायक विकास अधिकारी (अवर अभियंता, सिविल) के 2819 पद (सामान्य चयन) व अवर अभियंता (सिविल) के 28 पद (विशेष चयन) सहित कुल रिक्त 2847 पदों पर चयन हेतु दिनांक 07-03-2024 को विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। तदनुक्रम में आयोग की आवश्यक सूचना संख्या-32/08/विज्ञापन अनुभाग(ग्यारह)/08-परीक्षा/2024, दिनांक 16-03-2024 द्वारा पूर्व में विज्ञापित पदों के अतिरिक्त विभिन्न विभागों के नियंत्रणाधीन अवर अभियन्ता (सिविल) के 368 पद (सामान्य चयन) + अवर अभियन्ता (सिविल) के 801 पद (विशेष चयन) = 1169 पदों को भी उक्त विज्ञापन के अंतर्गत सम्मिलित करते हुए संशोधित कुल 4016 [3187 (सामान्य चयन) + 829 (विशेष चयन)] पदों पर चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन दिनांक 07-05-2024 से प्राप्त किये जा रहे हैं।

सूच्य है कि आयोग के शुद्धि-पत्र संख्या-39/08/विज्ञापन अनुभाग (ग्यारह)/08-परीक्षा/2024, दिनांक 07-06-2024 द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि को दिनांक 28-06-2024 तक विस्तारित किया गया है।

सूच्य है कि विज्ञापन संख्या-08-परीक्षा/2024, अवर अभियंता (सिविल) मुख्य परीक्षा (प्रा0अ0प0-2023)/08 के बिन्दु संख्या-04 में यह उल्लिखित है कि विज्ञापित रिक्तियों की कुल व श्रेणीवार संख्या घट/ बढ़ सकती है। तदनुक्रम में पूर्व में विज्ञापित पदों के अतिरिक्त निम्नलिखित सारणी में उल्लिखित विभागों के नियंत्रणाधीन अवर अभियन्ता (सिविल) के 354 पद (सामान्य चयन) + अवर अभियन्ता (सिविल) के 06 पद (विशेष चयन) = 360 पदों को भी उक्त विज्ञापन के अंतर्गत सम्मिलित किया जा रहा है। इस प्रकार प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत अब संशोधित कुल 4376 [3541 (सामान्य चयन) + 835 (विशेष चयन)] पदों पर चयन की कार्यवाही की जाएगी।

1- प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत पूर्व में विज्ञापित पदों के अतिरिक्त विभागवार सम्मिलित किये जा रहे पदों की संख्या व उनके सापेक्ष लम्बवत आरक्षण का विवरण-

क्र. सं	विभाग का नाम	पदनाम	वेतन बैंड/ ग्रेड-पे	अधियाचित कुल रिक्त पदों का आरक्षणवार विवरण						अभ्युक्ति
				अनारक्षित	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए (E.W.S.)	कुल पद	
01	नगर निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश	अवर अभियंता (सिविल) (सामान्य चयन)	वेतन बैंड-2 वेतनमान (न्यूनतम) 35400, वेतनमान (अधिकतम) 112400 ग्रेड-पे- 4200/- मैट्रिक्स लेवल-6	77	26	02	39	16	160	स्थायी व अस्थायी

(Signature)

9

X

क्र. सं	विभाग का नाम	पदनाम	वेतन बैंड/ ग्रेड-पे	अधियाचित कुल रिक्त पदों का आरक्षणवार विवरण						अभ्युक्ति स्थायी/ अस्थायी
				अनारक्षित	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए (E.W.S.)	कुल पद	
02	उत्तर प्रदेश, जल निगम (नगरीय)	अवर अभियंता (सिविल) (सामान्य चयन)	वेतनमान (न्यूनतम): 9300, वेतनमान (अधिकतम): 34800 वेतन बैंड-2, ग्रेड-पे- 4200/-	52	27	02	35	12	128	स्थायी
03	यू0पी0 स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लि0, (पूर्ववर्ती-उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लि0)	अवर अभियंता (सिविल) (सामान्य चयन)	वेतन बैंड (9300-34800) ग्रेड-पे- 4200/- पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल- 6 (रू0 35400-112400)	22	10	01	15	05	53	अस्थायी
04	उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0	अवर अभियंता (सिविल) (सामान्य चयन)	वेतन बैंड-2 (9300-34800) ग्रेड-पे- 4200/- पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल- 6 (रू0 35400-112400)	07	03	00	02	01	13	स्थायी
05	उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0	अवर अभियंता (सिविल) (विशेष चयन)	वेतन बैंड-2 (9300-34800) ग्रेड-पे- 4200/- पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल- 6 (रू0 35400-112400)	00	03	00	03	00	06	स्थायी
कुल पद				158	69	05	94	34	360	

*(Signature)*

8

*(Signature)*

**2- प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत पूर्व में विज्ञापित पदों के अतिरिक्त विभागवार सम्मिलित किये जा रहे पदों की संख्या व उनके सापेक्ष क्षैतिज आरक्षण का विवरण-**

क्षैतिज आरक्षण का विवरण											
क्र. सं.	विभाग का नाम	पदनाम	स्व0 संग्राम सेनानी के आश्रित	दिव्यांगजन / पद संख्या व विभाग द्वारा चिन्हांकित उप श्रेणियां					सैन्य वियोजित /भूतपूर्व सैनिक	महिला	उत्कृष्ट खिलाड़ियों हेतु
				(क) दृष्टिहीनता एवं कम दृष्टिहीनता	(ख) बधिर और श्रवण शक्ति में ह्रास	(ग) प्रमस्तिष्कीय अंगघात, उपचारित कुष्ठ, बौनापन, एसिड आक्रमण पीड़ित और मांसपेशीय दुष्पोषण सहित चलन क्रिया सम्बन्धी निःशक्ताः	(घ) स्वपरायणता, बौद्धिक निःशक्ताः, विशिष्ट अधिगम निःशक्ता और मानसिक अस्वस्थताः	(ङ) खण्ड (क) से (घ) के अधीन आने वाले व्यक्तियों में से बहु निःशक्ताः, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक निःशक्ताः के लिए अभिज्ञानित पदों में बधिर-अंधता सम्मिलित है (MD)			
01	नगर निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश	अवर अभियंता (सिविल) (सामान्य चयन)	03	02 (L.V.)	02 (D., H.H.)	02 (O.A., O.L., L.C., Dw., A.A.V.)	--	--	08	32	03
02	उत्तर प्रदेश, जल निगम (नगरीय)	अवर अभियंता (सिविल) (सामान्य चयन)	02	03 (L.V.)	02 (H.H.)	--	--	--	06	25	02
03	यू0पी0 स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लि0, (पूर्ववर्ती-उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लि0)	अवर अभियंता (सिविल) (सामान्य चयन)	00	--	01 (H.H.)	01 (O.A., O.L., Dw., A.A.V.)	--	--	02	10	01
04	उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0	अवर अभियंता (सिविल) (सामान्य चयन)	00	--	00 (D., H.H.)	00 (Dw., A.A.V.)	--	--	--	02	--
05	उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0	अवर अभियंता (सिविल) (विशेष चयन)	00	--	00 (D., H.H.)	00 (Dw., A.A.V.)	--	--	--	01	--
कुल पद			05	05	05	03	--	--	16	70	06

*(Signature)*

*(Signature)*

*(Signature)*



नोट- उपर्युक्त सारणी के बिन्दु संख्या-03 पर उल्लिखित अध्याचनकर्ता विभाग यू0पी0 स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लि0, (पूर्ववर्ती-उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लि0) द्वारा अवगत कराया गया है कि निगम में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए आरक्षण की व्यवस्था लागू नहीं है।

दिव्यांगता की श्रेणी/ उपश्रेणी से सम्बन्धित विवरण

- L.V. (एल0वी0)-Low Vision (कम दृष्टि)
- D. (डी0)- Deaf (बधिर)
- H.H. (एच0एच0)- Hard of Hearing (श्रवण शक्ति में हास)
- O.A. (ओ0ए0)- One Arm Affected (एक हाथ प्रभावित)
- O.L. (ओ0एल0)- One Leg Affected (एक पैर प्रभावित)
- L.C. (एल0सी0)- Leprosy Cured (रोगमुक्त कुष्ठ)
- Dw. (डीडब्लू0)- Dwarfism (बौनापन)
- A.A.V. (ए0ए0वी0)- Acid Attack Victims (एसिड आक्रमण पीड़ित)

3- अर्हतायें-

क्र. सं.	विभाग का नाम	पदनाम	अर्हतायें
01	नगर निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश	अवर अभियंता (सिविल) (सामान्य चयन)	<p><u>अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक)</u>- उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयित) सेवा नियमावली, 1966 के भाग-4 के नियम-12 के अनुसार केन्द्रीयित सेवाओं के अंतर्गत किसी पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी की ऐसी अर्हताएं होनी चाहिए जैसा राज्य सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे। तदक्रम में प्रमुख सचिव, नगर विकास अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-990/नौ-1-10-131सा/2001, दिनांक 21-06-2010 के अनुसार नगरीय स्थानीय निकायों के अवर अभियंता के पदों पर भर्ती हेतु न्यूनतम अर्हता अभियंत्रण में 03 वर्षीय डिप्लोमा निर्धारित की गयी है। तदनुक्रम में अध्याचन के बिन्दु-14 (अ) में "सिविल अभियंत्रण में 03 वर्षीय डिप्लोमा" का उल्लेख है। उक्तानुसार अवगत कराना है कि सेवा में अवर अभियंता (सिविल) के पद पर सीधी भर्ती हेतु अभ्यर्थी के पास सिविल अभियंत्रण में 03 वर्षीय डिप्लोमा होना आवश्यक है।</p> <p><u>अधिमानि अर्हता-</u> सेवा में सीधी भर्ती की दशा में उस अभ्यर्थी को अधिमान्यता दी जायेगी जिसने-</p> <p>1- प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 02 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या</p> <p>2- नेशनल कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।</p>
02	उत्तर प्रदेश, जल निगम (नगरीय)	अवर अभियंता (सिविल) (सामान्य चयन)	<p><u>अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक)</u>- उत्तर प्रदेश जल निगम अधीनस्थ अभियन्त्रण सेवा विनियमावली, 1979 यथासंशोधित (कार्यालय मुख्य अभियन्ता (अ-2-2), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ का कार्यालय ज्ञाप संख्या-1177/अ-2-2/2161-0009/16, दिनांक- 08-09-2016 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-779/अ-2-2/2161-0041/20, दिनांक- 21-12-2020 तथा प्रधान कार्यालय, उत्तर प्रदेश, जल निगम (नगरीय) का कार्यालय ज्ञाप संख्या-281/अ-2/2161-0019/2022,</p>

(Signature)

9

X



क्र. सं.	विभाग का नाम	पदनाम	अर्हतायें
			<p>दिनांक 15-06-2022 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-666/अ-2/2161-0012/2022, दिनांक 31-12-2022) के भाग-4 के विनियम-11 के अनुसार सेवा में अवर अभियंता (सिविल) के पद पर केवल ऐसे व्यक्तियों की भर्ती की जायेगी, जिनके पास निम्नलिखित न्यूनतम अर्हता में कोई एक हो:-</p> <p>(क) शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा।</p> <p>(ख) राज्य प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ द्वारा जारी किया गया पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में 3 साल के कोर्स का डिप्लोमा।</p> <p>(ग) अन्य अर्हतायें जिन्हें राज्य प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा मद संख्या- (क) एवं (ख) में उल्लिखित डिप्लोमा के बराबर माना जाये।</p> <p>(घ) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा सिविल अभियंत्रण में प्रदत्त राष्ट्रीय प्रमाण पत्र।</p> <p>नोट- अन्य अर्हतायें जिन्हें राज्य प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा मद संख्या- (क) एवं (ख) में उल्लिखित डिप्लोमा के बराबर माना जाये, के संबंध में मुख्य अभियन्ता (अ-2), उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ के पत्र संख्या- 165/अ-2/2161-0012/24, दिनांक- 16-03-2024 के साथ संलग्न मुख्य अभियन्ता, उत्तर प्रदेश, जल निगम (नगरीय), लखनऊ को सम्बोधित सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या- प्राशिप/परिषद/समकक्षता/2024/10093, दिनांक- 16-03-2024 के द्वारा अखिल भारतीय शिक्षा परिषद (AICTE) के अप्रूवल प्रोसेस हैंडबुक (APH 2022-23) के Annexure-7 में उल्लिखित डिप्लोमा कोर्सेस तथा उनसे सम्बन्धित Relevant/Appropriate Branches की सूची उपलब्ध कराते हुए अवगत कराया गया है कि राज्य प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पालीटेक्निक संस्थाएं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार संचालित होती हैं तथा जिसे निर्धारित प्राविधिक अर्हता के समकक्ष माना जा सकता है, जिनकी सूची संलग्न है।</p> <p><b>अधिमानी अर्हता-</b> उत्तर प्रदेश जल निगम अधीनस्थ अभियंत्रण सेवा विनियमावली, 1979 के भाग-4 के विनियम-12 के अनुसार ऐसे अभ्यर्थी को अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमानता दी जाएगी यदि:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1- प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 02 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या</li> <li>2- राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।</li> </ol>
03	यू०पी० स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लि०, (पूर्ववर्ती-उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लि०)	अवर अभियंता (सिविल) (सामान्य चयन)	<p><b>अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक)-</b> यू०पी० स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (पूर्ववर्ती-उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम लि०) सामान्य सेवा नियमावली, 1996 यथासंशोधित (कार्यालयादेश संख्या- 4300/1-1(26)/स्था/2016, दिनांक 23-08-2016, कार्यालयादेश संख्या- 8787/1-1(10)/स्था०/2023-24/वा-॥, दिनांक 14 फरवरी, 2024 तथा आदेश संख्या-1304/1-1(10)/स्था०/2023-24/वा-॥, दिनांक 30-05-2024 द्वारा संसूचित) के अध्याय-2 नियम-10 के अनुसार सेवा में अवर अभियंता (सिविल) के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास सिविल इंजीनियरिंग में 03 वर्षीय डिप्लोमा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता होनी आवश्यक है। (समकक्ष अर्हता हेतु प्रबन्ध निदेशक, यू०पी० सिडको, लखनऊ को सम्बोधित उत्तर प्रदेश शासन समाज कल्याण अनुभाग-3 से निर्गत पत्र संख्या- 514/26-3-2023-1662334, दिनांक 16-02-2024 संलग्नको सहित संलग्न है।)</p>

01/04

2

X

क्र. सं.	विभाग का नाम	पदनाम	अर्हतायें
04	उ०प्र० पुलिस आवास निगम लि०	अवर अभियंता (सिविल) (सामान्य चयन/ विशेष चयन)	<p>अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक)- उ०प्र० पुलिस आवास निगम लिमिटेड, सामान्य सेवा नियमावली, 2009 के नियम- 10 एवं परिशिष्ट 'ग' के अनुसार सेवा में अवर अभियन्ता (सिविल) के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास सिविल अभियंत्रण में डिप्लोमा होना आवश्यक है।</p> <p>अधिमानी अर्हता- अनुभव को वरीयता (उ०प्र० शासन कार्मिक अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-66/का-3-2000-13/90/98, दिनांक 24-03-2000 के अनुपालन में अप्रेंटिस प्रशिक्षुगण को भी सम्बन्धित सेवायोजक के नियमों के उपबन्धों के अनुसार भर्ती के लिए प्रतियोगिता परीक्षा या टेस्ट में सम्मिलित होना अपेक्षित है एवं सेलेक्शन टेस्ट के उपरान्त जब उनमें से कोई प्रशिक्षु अभ्यर्थी किसी गैर-अप्रेंटिस अभ्यर्थियों के समान पाया जाए सिर्फ तभी उस अप्रेंटिस प्रशिक्षु अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी।)</p> <p>उक्त शासनादेश के क्रम में अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड, लखनऊ के पत्र संख्या-6910/पुआनि/च-8 (अधिया०)/2023-24, दिनांक 06-03-2024 एवं पत्र संख्या-1062/पुआनि/च-8(अधिया०)/2023-24, दिनांक 06-06-2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लि० में अवर अभियन्ता (सिविल) के पद पर सीधी भर्ती के अन्तर्गत चयन किये जाने वाले सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा धारक अभ्यर्थी द्वारा अप्रेंटिसशिप पूर्ण करने की स्थिति में अधिकतम आयु की सीमा में मात्र 01 वर्ष की छूट प्रदान की जा सकती है।</p>

#### 4- आयु-

क्र.सं.	विभाग का नाम	पदनाम	आयु-सीमा
01	नगर निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश	अवर अभियंता (सिविल) (सामान्य चयन)	<p>उत्तर प्रदेश पालिका (केंद्रीयित) सेवा (सत्ताइसवां संशोधन) नियमावली, 2016 के भाग-4 के नियम-09 के अनुसार केंद्रीयित सेवाओं में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस वर्ष के, जिसमें भर्ती किया जाय, अगले अनुवर्ती वर्ष की पहली जनवरी को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक आयु न प्राप्त की हो:</p> <p>प्रतिबन्ध यह है कि-</p> <p>(1) किसी ऐसे व्यक्ति की दशा में, जिसने किसी भी केंद्रीयित सेवा अथवा पालिका अथवा राज्य सरकार में सेवा की हो, अधिकतम आयु-सीमा से 05 वर्ष अधिक होगी।</p> <p>(2) यदि कोई अभ्यर्थी अपनी आयु के आधार पर किसी ऐसे वर्ष में चयन में उपस्थित होने के लिए हकदार होता, जिसमें कोई चयन नहीं किया गया हो तो वह अपनी आयु के आधार पर अपने अनुवर्ती चयन में उपस्थित होने के लिए हकदार समझा जाएगा।</p> <p>(3) अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों की दशा में अधिकतम आयु-सीमा 05 वर्ष अधिक होगी।</p> <p>(4) राज्य सरकार किसी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस नियम में विहित अधिकतम आयु-सीमा को, किसी अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों के वर्ग के पक्ष में शिथिल कर सकती है, यदि वह उचित व्यवहार के हित में या लोकहित में ऐसा करना आवश्यक समझे।</p>

9/10/24

9

X



क्र.सं.	विभाग का नाम	पदनाम	आयु-सीमा
02	उत्तर प्रदेश, जल निगम (नगरीय)	अवर अभियंता (सिविल) (सामान्य चयन)	<p>उत्तर प्रदेश जल निगम अधीनस्थ अभियन्त्रण सेवा विनियमावली, 1979 यथासंशोधित (कार्यालय मुख्य अभियन्ता (अ-2-2), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ का कार्यालय ज्ञाप संख्या-1177/अ-2-2/2161-0009/16, दिनांक- 08-09-2016 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-779/अ-2-2/2161-0041/20, दिनांक 21-12-2020 तथा प्रधान कार्यालय, उत्तर प्रदेश, जल निगम (नगरीय) का कार्यालय ज्ञाप संख्या-281/अ-2/2161-0019/2022, दिनांक 15-06-2022 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-666/अ-2/2161-0012/2022, दिनांक 31-12-2022) के भाग-4 विनियम-8 (1) के अनुसार सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेण्डर वर्ष की, जिसमें रिक्तियां विज्ञापित की जाये, पहली जुलाई को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, और 40 वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त न की हो।</p> <p>परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़ी जातियों व ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों की दशा में, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाए, उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाय:</p>
03	यू0पी0 स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लि0, (पूर्ववर्ती-उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लि0)	अवर अभियंता (सिविल) (सामान्य चयन)	<p>यू0पी0 स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (पूर्ववर्ती-उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम लि0) सामान्य सेवा नियमावली, 1996 यथासंशोधित (कार्यालयादेश संख्या-4300/1-1(26)/स्था/2016, दिनांक 23-08-2016, कार्यालयादेश संख्या-8787/1-1(10)/स्था0/2023-24/वा-II, दिनांक 14 फरवरी, 2024 तथा आदेश संख्या-1304/1-1(10)/स्था0/2023-24/वा-II, दिनांक 30-05-2024 द्वारा संसूचित) के अध्याय-2 नियम-9 के अनुसार निगम के अधीन अवर अभियंता (सिविल) के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी ने उस कैलेण्डर वर्ष की, जिसमें सीधी भर्ती के लिए रिक्तियां प्रकाशित की जायें, 01 जुलाई को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो:</p> <p>अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जायें, अभ्यर्थियों की दशा में, उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाये।</p>
04	उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0	अवर अभियंता (सिविल) (सामान्य चयन/ विशेष चयन)	<p>सेवा में अवर अभियंता (सिविल) के पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेण्डर वर्ष की, जिसमें सीधी भर्ती के लिए रिक्तियां प्रकाशित की जायें, पहली जुलाई को क्रमशः 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो:</p> <p>परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जायें, अभ्यर्थियों की दशा में, उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।</p> <p>नोट-1-उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लि0 के नियमित कर्मिकों को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी।</p> <p>नोट-2- अवर अभियन्ता (सिविल) के पद पर चयन हेतु उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लि० में मात्र सिविल डिप्लोमा धारक अभ्यर्थी द्वारा अप्रेंटिसशिप पूर्ण करने की स्थिति में अधिकतम आयु की सीमा में 01 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी।</p>









## 5- चयन का आधार –

प्रश्नगत पदों पर चयन उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-32/2015/857/47-का-2015-13/19/2015, दिनांक 11-05-2015 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश समूह-ग के पदों के लिए सीधी भर्ती (रीति एवं प्रक्रिया) नियमावली 2015, उत्तर प्रदेश शासन, कार्मिक अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-4/2017/1/1/2017-का-2, दिनांक 31 अगस्त, 2017 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश अवर स्तरीय पदों पर सीधी भर्ती (साक्षात्कार का बन्द किया जाना) नियमावली, 2017 एवं उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-1103/47-का-3-2020-13/17/2020, दिनांक 20-11-2020 द्वारा अपनायी गयी नवीन आवेदन प्रक्रिया एवं द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली के अनुसार (जिसके अंतर्गत मुख्य परीक्षा के लिए वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकता है जो आयोग की प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2023 में सम्मिलित हुआ हो) तथा विज्ञापित पदों की संगत सेवानियमावलियों एवं सुसंगत शासनादेशों, जिनका उल्लेख बिन्दु-03 एवं 04 में अंकित तालिकाओं में किया गया है, के आधार पर की जाएगी, जिसके अनुसार चयन का आधार लिखित परीक्षा है।

सूच्य है कि यह शुद्धि-पत्र आयोग के विज्ञापन संख्या-08-परीक्षा/2024, दिनांक 07-03-2024 के अनुक्रम में निर्गत किया जा रहा है। इसके अंतर्गत आवेदन की प्रक्रिया, आवेदन शुल्क, चयन का आधार एवं विहित शर्तें व अनुदेश वहीं रहेंगे, जो पूर्व में प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत प्रकाशित किये गये हैं।

अभ्यर्थियों को यह भी सूचित किया जाता है कि विज्ञापन संख्या-08-परीक्षा/2024 के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन/ शुल्क जमा/ आवेदन सबमिट करने/ शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि निम्नवत हैं-

- ऑनलाइन आवेदन/ शुल्क जमा /आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि- **28-06-2024**
- शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि- **05-07-2024**


जो अभ्यर्थी प्रश्नगत विज्ञापन के सापेक्ष अपना आवेदन अंतिम रूप से सबमिट कर चुके हैं एवं इस शुद्धि-पत्र के माध्यम से विज्ञापित किये जा रहे पदों पर आवेदन हेतु अर्ह एवं इच्छुक हैं, उन्हें पुनः आवेदन करने व शुल्क जमा करने की आवश्यकता नहीं है, परन्तु उनके द्वारा पूर्व में सबमिट किये गये आवेदन पत्र में ही आवेदन में संशोधन की निर्धारित प्रक्रिया (विज्ञापन का बिन्दु-3 अवलोकनीय) के अनुसार इस शुद्धि-पत्र में उल्लिखित पदों के सापेक्ष अपना विकल्प एवं समस्त आवेदित पदों के सापेक्ष संशोधित वरीयता अंकित किया जाना आवश्यक होगा।

यदि इस शुद्धि-पत्र के निर्गमन के पूर्व आवेदन अंतिम रूप से सबमिट कर चुके किसी अभ्यर्थी द्वारा उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार नवीन पदों हेतु विकल्प चयन एवं वरीयता का अंकन नहीं किया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी का विचारण उसके द्वारा पूर्व में आवेदित पदों तथा वरीयता के अनुसार ही किया जाएगा। आयोग द्वारा आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि के उपरान्त इस शुद्धि-पत्र के माध्यम से विज्ञापित नवीन पदों व उनकी वरीयता के सम्बन्ध में कोई भी प्रत्यावेदन अथवा दावा भविष्य में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

संलग्नक- यथोपरि।







(अवनीश सक्सेना)

सचिव।

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (अ-2), उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ।

पत्रांक: 165 /अ-2/2161-0012/24

दिनांक: 16 /03/2024

सेवा में,

सचिव,

उ०प्र० अधीनस्थ सेवा चयन आयोग,

तृतीय तल, पिकप भवन, विभूति खण्ड,

गोमती नगर, लखनऊ - 226010 ।

विषय : विहित अर्हता के बराबर/समकक्ष अर्हता स्पष्ट रूप से निर्धारित कर अधियाचन प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय पत्रांक 69/06/चार/आयोग/2024 दिनांक 04.03.2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इस कार्यालय के पत्रांक 98/अ-2/2161-0012/24 दिनांक 07.02.2024 के माध्यम से प्रेषित अधियाचन में उ०प्र० जल निगम (नगरीय) में लागू उ०प्र० अधीनस्थ अभियन्त्रण सेवा विनियमावली - 1979 के भाग-4 के विनियम-11 में उल्लिखित "अन्य अर्हतायें जिन्हें राज्य प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा मद सं० -(क) एवं (ख) में उल्लिखित डिप्लोमा के बराबर (समकक्ष) माना जाये ।" को स्पष्ट रूप से निर्धारित करने की अपेक्षा की गई थी ।


उपरोक्त के क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक 143/अ-2/2161-0012/24 दिनांक 06.03.2024 द्वारा सचिव, राज्य प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० को कार्मिक अनुभाग-2, उ०प्र० शासन के कार्यालय ज्ञाप सं० 849/का-2/2021 दिनांक 07.10.2021 के आलोक में उ०प्र० जल निगम (नगरीय) में लागू उ०प्र० अधीनस्थ अभियन्त्रण सेवा विनियमावली - 1979 के भाग-4 के विनियम-11 में उल्लिखित प्राविधिक अर्हता के समकक्ष अर्हता से अवगत कराने का अनुरोध किया गया था ।

उक्त के क्रम में उन्होने अपने पत्रांक प्राशिप/परिषद/2024/10093 दिनांक 16.03.2024 द्वारा अवगत कराया है कि राज्य प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पालीटेक्निक संस्थाएं, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए०आई०सी०टी०ई०) द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार संचालित होती है तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए०आई०सी०टी०ई०) के अप्रूवल प्रोसेस हैडबुक (ए०पी०एच० 2022-23) के एनेक्चर-7 में उल्लिखित डिप्लोमा कोर्सेस तथा उनसे सम्बन्धित Relavent/Appropriate Branches की सूची संलग्न करते हुये यह भी सूचित किया है कि इन्हें अर्हता के समकक्ष माना जा सकता है ।

उपरोक्त के आलोक में सचिव, राज्य प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० के पत्रांक प्राशिप/परिषद /2024/10093 दिनांक 16.03.2024 की छायाप्रति, समस्त संलग्नों सहित, इस पत्र के साथ संलग्न कर आपको अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है ।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार ।

भवदीय

 16/3/24

(अरुण कुमार)

मुख्य अभियन्ता (अ-2)

क्रमशः 2 पर

Whatsapp  
के माध्यम से  
पत्र

पृ0सं0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसार ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), लखनऊ ।
2. संयुक्त प्रबन्ध निदेशक (प्रशासन), उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), लखनऊ ।
3. अनु सचिव, नगर विकास अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को उनके ई-पत्रांक 1/485755/2024 दिनांक 03.02.2024 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित ।
4. सचिव (प्रशासन), उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), लखनऊ ।

मुख्य अभियन्ता (अ-2)



प्रेषक,

सचिव,  
प्राविधिक शिक्षा परिषद,  
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता,  
उत्तर प्रदेश, जल निगम (नगरीय)  
प्रधान कार्यालय 6, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।

पत्रांक: प्राशिप/परिषद/2024/10093

लखनऊ: दिनांक: 16/03/2024

विषय: उ0प्र0 शासन कार्मिक अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 849/का-2/2024  
दिनांक 07 अक्टूबर, 2021 के अनुसार भर्ती के नियमों में निर्धारित अर्हता की  
समकक्षता के संबंध में।

महोदय,

कृपया, अपने कार्यालय के पत्रांक: 143/अ-2/2161-0012/24, दिनांक: 06.03.2024  
का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि आपके कार्यालय द्वारा जूनियर इंजीनियर  
(सिविल/वि0/यां0) के सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर भर्ती किये जाने हेतु प्रेषित अधियाचन में  
भर्ती के नियमों में निर्धारित "प्राविधिक अर्हता" के समकक्षता जो राज्य प्राविधिक शिक्षा परिषद,  
उत्तर प्रदेश द्वारा उल्लिखित डिप्लोमा के बराबर अर्हता की जानकारी चाही गयी हैं, के संबंध में  
अवगत कराना है कि राज्य प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पालीटेक्निक संस्थाएं अखिल  
भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए0आई0सी0टी0ई0) द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार संचालित  
होती हैं।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए0आई0सी0टी0ई0) के अप्रूवल प्रोसेस हैंडबुक  
(APH 2022-23) के Annexure-7 में उल्लिखित डिप्लोमा कोर्सेस तथा उनसे संबंधित  
Relevant/Appropriate Branches की सूची संलग्न हैं, जिसे अर्हता के समकक्ष माना जा  
सकता हैं।

संलग्न सूची के अनुसार अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।  
संलग्नक: उपरोक्तानुसार।


भवदीय,

  
(अजीत कुमार मिश्र)  
सचिव

पृ0सं0: प्राशिप/परिषद/2024/10094


तददिनांक: 16/03/2024

प्रतिलिपि: सचिव, उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, तृतीय तल, पिकप भवन, गोमती नगर,  
लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  
(अजीत कुमार मिश्र)  
सचिव

75  
आज़ादी का  
अमृत महोत्सव

ALL INDIA COUNCIL FOR  
TECHNICAL EDUCATION  
अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद



TECHNICAL PROCESS HANDBOOK



# ANNEXURE-7

## Major Disciplines, their corresponding Courses and Relevant/ Appropriate Branch of Diploma In Engineering and Technology

Major Discipline	Corresponding Courses (if any)	Diploma Courses permissible for Merger	
Aeronautical Engineering		Aero Space Engineering	
		Aeronautical Engineering	
		Aircraft Maintenance Engineering (Avionics)	
		Aircraft Maintenance Engineering	
Agriculture Engineering		Agricultural Engineering	
		Agricultural Technology	
Architecture		Architectural Assistantship	
		Interior Decoration	
		Interior Design	
Biotechnology		Biotechnology	
Ceramic Engineering		Ceramic Engineering and Technology	
		Ceramic Technology	
		Ceramics Engineering	
		Glass and Ceramics Engineering	
Chemical Engineering	Chemical Engineering	Chemical Engineering	
		Chemical Engineering (Fertilizers)	
		Chemical Engineering (Oil Technology)	
		Chemical Engineering (Petro Chemical)	
		Chemical Engineering (Plastic and Polymers)	
		Chemical Engineering (Sugar Technology)	
		Chemical Engineering	
		Chemical Technology	
		Chemical Technology (Paint Technology)	
		Chemical Technology (Rubber and Plastic Technology)	
		Chemical Technology Fertilizer	
		Chemical Technology (Rubber/Plastic)	
		Surface Coating Technology	
		Technical Chemistry	
	Oil and Paint Technology		Paint Technology
			Chemical Engineering (Oil Technology)
			Chemical Technology (Paint Technology)
	Petrochemical Engineering		Petrochemical Engineering
			Petrochemical Refinery
			Petrochemical Technology
			Petroleum Engineering
			Petroleum Technology
			Chemical Engineering (Petro Chemical)
		Plastic and Mould Technology	



	Plastic and Polymer Engineering
	Plastic Engineering
	Plastic Mould Technology
	Plastic Technology
	Plastics Processing and Testing
	Polymer Engineering and Technology
	Polymer Technology
	Plastic Process and Testing
	Chemical Engineering (Plastic and Polymer)
Civil Engineering	Civil and Rural Engineering
	Civil (SFS Mode)
	Civil Draftsman
	Civil Engineering
	Civil Engineering and Planning
	Civil Engineering (Building Services Engineering)
	Civil Engineering (Construction Technology)
	Civil Engineering (Construction)
	Civil Engineering (Rural Engineering)
Civil Engineering	Civil Technology
	Construction Engineering
	Construction Technology
	Construction Technology and Management
	Geoinformatics and Surveying Technology
	Geographic Information System and Global Positioning System
	Quantity Surveying and Construction Management
	Survey Engineering
	Transportation Engineering
	Civil and Environmental Engineering
	Civil (Public Health and Environment) Engineering
	Civil Engineering (Environment and Pollution Control)
	Civil Engineering (Environmental Engineering)
	Civil Engineering (Public Health Engineering)
	Civil Environmental Engineering
	Civil Environmental Engineering
	Environmental Engineering
	Water Resource Management
Water Resources Engineering	Civil Engineering (Water Resource and Management)
	Water Technology and Health Science
Computer Science and Engineering	Advanced Computer Application
	Campus Wide Network Design and Maintenance
	Computer Hardware and Networking
	Computer Applications
	Computer Engineering
	Computer Engineering and Application
	Computer Hardware and Maintenance
	Computer Hardware and Networking
	Computer Networking

		Computer Science and Engineering
		Computer Science
		Computer Science and Technology
		Computer Science and Systems Engineering
		Computer Software Technology
		Computer Technology
		Computer Technology and Applications
		Cyber Forensics and Information Security
		Computer Applications
		Network Engineering
		Web Designing
		Web Technologies
		Electronics and Computer Engineering
		Computer Science and Information Technology
		Information and Communication Technology
		Information Engineering
		Information Science
		Information Science and Engineering
		Information Science and Technology
	Information Technology	Information Security Management
		Information Technology
		Information Technology and Engineering
		Information Technology Enabled Services and Management
		Advanced Communication and Information System
		I.T. (Courseware Engineering)
		Computer and Information Science
Dairy Engineering		Dairy Engineering
Electrical Engineering		Electrical and Electronics (Power System)
		Electrical and Electronics Engineering
		Electrical and Instrumentation Engineering
		Electrical and Mechanical Engineering
		Electrical and Power Engineering
		Electrical Energy Systems
		Electrical Engineering (Instrumentation and Control)
		Electrical Engineering
		Electrical Engineering (Electronics and Power)
		Electrical Engineering (Industrial Control)
		Electrical Machines
		Electrical Power Systems
		Power Systems Engineering
		Electronics and Electrical Engineering
Electronics and Communication Engineering	Electronics Engineering	Applied Electronics
		Digital Electronics
		Digital Electronics and Microprocessor
		Digital Systems
		Electrical and Electronics (Power System)



	Electrical and Electronics Engineering
	Electrical and Electronics Engineering
	Electrical Engineering (Electronics and Power)
	Electronic Engineering
	Electronic Science and Engineering
	Electronics
	Electronics and Avionics
	Electronics and Production
	Electronics and Video Engineering
	Electronics and Computer Engineering
	Electronics and Electrical Engineering
	Electronics Engineering
	Electronics Engineering (Industry Integrated)
	Electronics Engineering (Micro Electronics)
	Electronics Engineering (Modern Consumer Electronics)
	Electronics Engineering (Specialization In Consumer Electronics)
	Electronics Engineering With Microprocessor
	Electronics Production and Maintenance
	Electronics Technology
	Embedded Systems
	Industrial Electronics
	Micro Electronics
	Power Electronics
Electronics and Communication Engineering	Digital Electronics and Communication Engineering
	Electronics (Fiber Optics)
	Opto-Electronics Engineering
	Electronics and Communication Engineering
	Electronics and Communication Engineering (Industry Integrated)
	Electronics and Communication Technology
	Advanced Communication and Information System
	Advanced Electronics and Communication Engineering
	Electronics and Telecommunication Engineering
	Electronics and Telecommunication Engineering (Technology electronic Radio)
	Digital Communications
	Electronics and Communication Engineering (Microwaves)
	Electronics and Telecommunication Engineering (Radio and System)
	Electronics Communication and Instrumentation Engineering
	Telecommunication Engineering
	Telecommunication Technology
	TV and Sound Engineering
	Information and Communication Technology
	Applied Electronics and Instrumentation Engineering



		Automation and Robotics
		Automation Engineering
		Control and Instrumentation
		Diomedical Instrumentation
		Electrical and Instrumentation Engineering
		Electrical Engineering (Instrumentation and Control)
		Electronic Instrumentation and Control Engineering
		Electronics and Instrumentation Engineering
	Instrumentation Engineering	Electronics (Robotics)
		Electronics Communication and Instrumentation Engineering
		Electronics Robotics
		Industrial Electronics
		Instrument Technology
		Instrumentation
		Instrumentation and Control Engineering
		Instrumentation (E&C)
		Instrumentation Engineering
		Instrumentation Technology
	Medical Electronics Engineering	Bio Electronics
		Biomedical Engineering
		Medical Electronics Engineering
		Medical Electronics
		Blomedical Instrumentation
Fire and Safety Engineering		Fire Technology and Safety
Food Engineering		Food Processing and Preservation
		Food Processing Technology
		Food Technology
Leather Technology		Footwear Technology
		Leather and Fashion Technology
		Leather Goods and Footwear Tech
		Leather Technology
		Leather Technology (Footwear)
		Leather Technology Footwear Computer Aided Shoe Design
		Leather Technology Tanning
		Saddlery Technology and Export Management
Marine Engineering		Marine Engineering and Systems
		Marine Engineering
		Marine Engineering and Systems (Artificer Training)
		Marine Engineering and Systems
Mechanical Engineering	Automobile Engineering	Automobile Engineering
		Automobile Engineering (Automobile Fitter)
		Automotive Engineering
		Mechanical Engineering (Automobile)

	Mechanical Engineering Auto Mobile
	Energy Systems Engineering
	Heat Power Engineering
	Maintenance Engineering
	Mechanical Engineering (Industry Integrated)
	Mechanical Engineering
	Mechanical Engineering (Maintenance)
	Mechanical Engineering (Refrigeration and Air Conditioning)
	Mechanical Engineering Power Plant Engineering
	Mechanical Engineering Tube Well Engineering
	Mechanical Engineering (Repair and Maintenance)
	Navy Entry Artificer/ Diploma In Mechanical and Electrical Refrigeration and Air Conditioning
	CAD CAM
	Design and Drafting
	Fabrication Technology
	Fabrication Technology and Erection Engineering
	Foundry Technology
	Industrial and Production Engineering
	Industrial Engineering and Management
	Machine Engineering
	Machine Tools and Maintenance Engineering
	Machine Tools Technology
	Manufacturing Engineering
	Manufacturing Technology
	Material Management
	Mechanical (Computer Aided Design, Manufacture and Engineering)
	Mechanical CAD/ CAM
	Mechanical Engineering (Automobile)
	Mechanical Engineering (Tool and Die)
	Mechanical Engineering Automobile
	Mechanical Engineering Production
	Mechanical Engineering Specialization in CAD
	Mechanical Engineering Tool Engineering
	Mechanical Engineering (CAD/ CAM)
	Mechanical Engineering (Foundry)(SW)
	Mechanical Engineering (Machine Tool Maintenance and Repairs)
	Mechanical Welding and Sheet Metal Engineering
	Precision Manufacturing
	Production and Industrial Engineering
	Production Engineering
	Production Technology
Production Engineering	



Metallurgy Engineering	Mechatronics	Tool and Die Making
		Tool and Die Engineering
		Tool and Die Under Mechanical Engineering
		Tool Die and Mould Making
		Mechatronics
		Robotics and Mechatronics
		Metallurgical Engineering
		Metallurgy
		Metallurgy and Material Technology
Military Engineering		Artificer Training (Electronics)
		Artificer Training (Electrical)
		Artificer Training (Mechanical)
		Armament Engineering (Gun Fitter)
		Weapons Engineering
		Navy Entry Artificer/ Diploma in Mechanical and Electrical
Mining Engineering		Mine Engineering
		Mine Surveying
		Mining and Mine Surveying
		Shipbuilding Engineering
		Drilling Engineering
		Drilling Technology
Packaging Technology		Packaging Technology
		Printing and Packing Technology
Pharmaceutical Engineering		Pharmaceutical Chemistry and Technology
Printing Engineering		Printing and Packing Technology
		Printing Technology
Pulp Technology		Pulp Technology
		Wood and Paper Technology
Textile Engineering		Apparel Design and Fabric
		Apparel Design and Fabrication Technology
		Apparel Design and Fashion Technology
		Apparel Manufacture and Design
		Apparel Technology
		Computer Aided Costume Design and Dress Making
		Costumer Design and Dress Making
		Handloom and Textile Technology
		Textile Technology (Man Made Fibre Technology)
		Dress Designing and Garment Manufacturing
		Fashion and Clothing Technology
		Fashion and Design
		Fashion and Apparel Design
		Fashion Designing
		Fashion Designing and Garment Technology
	Fashion Technology	

		Garment Technology
		Garment and Fashion Technology
		Garment Design and Fashion Technology
		Garment Fabrication
		Garment Manufacturing Technology
		Handloom and Textile Technology
		Knitting and Garment Technology
		Knitting Technology
		Textile Chemistry
		Textile Design
		Textile Designing
		Textile Designing Printing
		Textile Engineering
		Textile Manufactures
		Textile Manufacturing and Technology
		Textile Marketing and Management
		Textile Processing
		Textile Processing Technology
		Textile Technology
		Textile Technology (Textile Design and Weaving)
		Textile Technology (Manmade Fibre)
		CDDM (Costume Design and Dress Making)
Biomedical Engineering		Biomedical Engineering
		ECG Technology
		Health Care Technology
		Instruments and Medical Equipment
		Medical Laboratory Technology
		Ophthalmic Technology
		Technician X-Ray Technology
Multimedia Technology		3-D Animation and Graphics
		Animation and Multimedia Technology
		Multimedia Technology
Office Management/ Commercial Practice		Accounts and Audit
		Administration Services
		Computer Application and Business Management
		Finance Account and Auditing
		Modern Office Management
		Modern Office Management and Secretarial Practice
		Modern Office Practice
		Commercial and Computer Practice
		Commercial Practice
		Commercial Practice (KAN and ENG)
Rubber		Rubber Technology
		Chemical Technology (Rubber and Plastic Technology)
		Chemical Technology (Rubber/ Plastic)



Cosmetology	Beauty and Hair Dressing
	Beauty Culture and Cosmetology
Cinematography	Cosmetology and Health
	Applied Videography
	Audiography and Sound Engineering
	Cinematography
	Direction Screen Play Writing and TV Production
	Film and Video Editing
	Film Editing and TV Production
	Film Technology and TV Production (Cinematography)
	Film Technology and TV Production (Film Processing)
	Film Technology and TV Production (Sound Recording and Sound Engineering)
	Film Technology (Animation and Visual Effects)
	Photography
	Sound Recording Engineering
Hotel Management	Hotel Management and Catering Technology
Journalism and Mass Communication	Mass Communication
Cement Technology	Cement Technology
Engineering Education	Engineering Education
Fisheries Technology	Fisheries Technology
Home science	Home Science
Jewellery Design and Manufacture Technology	Jewellery Design and Manufacture Technology
Library and Information Science	Library and Information Science
Sugar Technology	Sugar Technology
Travel and Tourism	Travel and Tourism
Wood Technology	Wood Technology

I/497930/2024

संख्या-514/26-3-2023-1662334

प्रेषक,

राज कुमार झा,  
उप सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबंध निदेशक,  
यूपी0 सिडको  
लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक 16 फरवरी, 2024

विषय: यूपीसिडको कार्मिकों की सामान्य सेवा नियमावली में परिशिष्ट-‘क’ में समूह-‘ग’ के अन्तर्गत अवर अभियन्ता (सिविल/विद्युत) पद हेतु सीधी भर्ती हेतु निर्धारित शैक्षिक अर्हता के समकक्ष अर्हता की स्पष्टता के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-8834/1-1(10)/स्था0/2023-24/वा0 II, दिनांक-15.02.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से विषयांकित प्रकरण में लोक निर्माण अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-23-4099(099)/61/2022 दिनांक 07.02.2024 में उल्लिखित समकक्षता की स्पष्टता हेतु उक्त शासनादेश को निगम में स्वीकार किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अतः सम्यक् विचारोपरांत लोक निर्माण अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-23-4099(099)/61/2022 दिनांक 07.02.2024 में उल्लिखित समकक्षता की स्पष्टता हेतु उक्त शासनादेश को निगम में स्वीकार किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

Digitally Signed by राज

कुमार झा

Date: 16-02-2024 18:49:30

Reason (सं. प्र. 16/2024)

उप सचिव



I/488968/2024

प्रेषक,

लाल धीरेन्द्र राव,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता(परि०/नियो०),

लोक निर्माण विभाग,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

लोक निर्माण अनुभाग-4लखनऊ: दिनांक 07/02/2024

विषय- उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग अवर अभियन्ता (सिविल/विद्युत/यांत्रिक) (समूह 'ग') सेवा नियमावली, 2014 के भाग-4 अर्हताओं के बिन्दु संख्या-08 (एक) व (दो) में उल्लिखित शैक्षिक अर्हता के समकक्ष अर्हता के संबंध में।

महोदय,

कृपया कार्मिक अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-849/का-2/2021, दिनांक 07.10.2021 द्वारा भर्ती के नियमों में विहित अर्हता के साथ-साथ समकक्ष अर्हता को भी स्पष्ट रूप से निर्धारित करने के उपरान्त चयन हेतु अध्याचन प्रेषित किये जाने के निर्देश विभागों को दिये गये हैं। इसी क्रम में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता के पत्र संख्या-6061 व्यघ/4184 व्यघ/2021, दिनांक 06.12.2022 द्वारा उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग अवर अभियन्ता (सिविल/विद्युत/यांत्रिक)(समूह 'ग') सेवा नियमावली, 2014 के भाग-4 अर्हताओं के बिन्दु संख्या-08 (एक) व (दो) में उल्लिखित शैक्षिक अर्हता की समकक्षता निर्धारित कराने के संबंध में शासन स्तर से दिशा-निर्देश प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2- उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग अवर अभियन्ता(सिविल/विद्युत/यांत्रिक) (समूह 'ग') सेवा नियमावली, 2014" के भाग चार-अर्हताएं के बिन्दु संख्या-08 शैक्षिक अर्हता में निम्नवत् प्राविधान है: .

(एक) माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की हाईस्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण किया हो ।

(दो) प्राविधिक शिक्षा परिषद, 30 प्र० से सिविल/विद्युत/यांत्रिक अभियांत्रिकी में तीन वर्षीय डिप्लोमा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता होनी आवश्यक है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रकरण में सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, 30 प्र० प्रयागराज के पत्रांक-परिषद-9/989 दिनांक 29.12.2022 (छाया प्रति संलग्न) के आधार पर माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये परामर्श के क्रम में उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग अवर अभियन्ता (सिविल/विद्युत/यांत्रिक)(समूह 'ग')

I/488968/2024

सेवा नियमावली, 2014 के भाग चार-अर्हताएं के बिन्दु संख्या-08(एक) में उल्लिखित "माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की हाईस्कूल परीक्षा के समकक्ष सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त परीक्षा" के रूप में निम्नलिखित परीक्षायें मान्य होंगी :-

- 1- बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन (आन्ध्र प्रदेश)
- 2- बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजुकेशन, गुवाहाटी, असम।
- 3- बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, पटना।
- 4- सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजुकेशन, नई दिल्ली।
- 5- छत्तीसगढ़ बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजुकेशन, रायपुर।
- 6- काउन्सिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्तीफिकेट एग्जामिनेशन, नई दिल्ली।
- 7- दयालबाग एजुकेशन इस्टीयूट (डीम्ड यूनिवर्सिटी) आगरा।
- 8- गोवा बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एण्ड हायर सेकेण्डरी एजुकेशन, गोवा।
- 9- गुजराज सेकेण्डरी एण्ड हायर सेकेण्डरी एजुकेशन बोर्ड, गांधीनगर गुजरात।
- 10- बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा, भिवानी।
- 11- हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, धर्मशाला, कांगड़ा।
- 12- जे0 एण्ड के0 स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, जम्मू।
- 13- झारखण्ड एकेण्डमी काउन्सिल, राँची।
- 14- कर्नाटका सेकेण्डरी एजुकेशन एग्जामिनेशन बोर्ड, बंगलौर।
- 15- केरला बोर्ड ऑफ हायर सेकेण्डरी एजुकेशन, तिरुवनन्तपुरम।
- 16- महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एवं हायर सेकेण्डरी एजुकेशन, पुणे।
- 17- बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन मध्य प्रदेश, भोपाल।
- 18- बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजुकेशन, मणिपुर, इम्फाल।
- 19- मेघालय बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, मेघालय।
- 20- मिजोरम बोर्ड आफ स्कूल एजुकेशन, ऐजाल।
- 21- नागालैण्ड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, कोहिमा।
- 22- बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन, उड़ीसा, कटक।
- 23- पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड, मोहाली।
- 24- बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजुकेशन राजस्थान, अजमेर।
- 25- स्टेट बोर्ड आफ स्कूल एग्जामिनेशन, (सेकेण्डरी) एण्ड बोर्ड आफ हायर सेकेण्डरी, एक्जामिनेशन, तमिलनाडू।



- 26- त्रिपुरा बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन, अगरतला।
- 27- वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन, कोलकता।
- 28- बोर्ड आफ स्कूल एजुकेशन उत्तराखण्ड, रामनगर, नैनीताल।
- 29- उ०प्र० मदरसा शिक्षा परिषद, लखनऊ द्वारा संचालित मौलवी परीक्षा, अरबी और मुंशी परीक्षा फारसी।
- 30- माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा संचालित पूर्व मध्यमा अथवा कोई अन्य उच्चतर परीक्षा।
- 31- राष्ट्रीय ओपेन स्कूल नई दिल्ली द्वारा संचालित सेकेण्डरी (माध्यमिक) परीक्षा इस प्रतिबन्ध के साथ कि यह परीक्षा कम से कम छः विषयों में उत्तीर्ण की गयी हो।
- 32- भारत में विधि द्वारा स्थापित ऐसे परीक्षा संस्था/विश्वविद्यालय द्वारा संचालित हाईस्कूल (मैट्रिकुलेशन) अथवा इसके समकक्ष संचालित परीक्षाएँ जिसके सम्बन्ध में सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन का समाधान हो गया है, परिषद की हाईस्कूल परीक्षा के समकक्ष मान्य होंगी।
- 33- ऐसे छात्र/छात्राएँ जिन्होंने कक्षा-8 की परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से 02 वर्षीय या उससे अधिक अवधि का औद्योगिक प्रशिक्षण पूर्ण कर राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एन०सी०वी०टी०) द्वारा जारी राष्ट्रीय ट यावसाय प्रमाण-पत्र (एन०टी०सी०) अथवा राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश (एस०सी०वी०टी०) द्वारा जारी राज्य स्तरीय प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, उन्हें माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित हाईस्कूल (कक्षा-10) की हिन्दी विषय की परीक्षा व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में उत्तीर्ण करने की दशा में परिषद की हाईस्कूल (कक्षा-10) के समकक्ष माना जायेगा। (विज्ञप्ति संख्या: परिषद-9/1103 दिनांक 18.03.16 द्वारा जोड़ा गया।
- नोट- आई०टी०आई० के अतिरिक्त अन्य हाईस्कूल (कक्षा-10) उत्तीर्ण परीक्षार्थी आई०टी०आई० के समकक्ष नहीं माने जायेंगे।
- 34-गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार, उत्तराखण्ड द्वारा संचालित विद्याधिकारी परीक्षा।
- नोट- उक्त विनियम संशोधन दिनांक 8 मार्च 2014 से प्रभावी माना जाय।
- 35- महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय रोहतक द्वारा संचालित उत्तर मध्यमा परीक्षा।प्रतिबन्ध यह है कि पूर्व मध्यमा परीक्षा कम से कम पांच विषयों में जिसमें भाषा के अतिरिक्त दो अन्य विषय सम्मिलित हो सहित उत्तीर्ण की गई हो।
- उक्त विनियम संशोधन वर्ष 1998 से प्रभावी माना जाय।
- (दिनांक 08 अक्टूबर, 2016 के राजकीय गजट में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या परिषद-9/707 दिनांक 04 अक्टूबर, 2016 द्वारा संशोधित।)

I/488968/2024

4- इसी प्रकार 30 प्र० लोक निर्माण विभाग अवर अभियन्ता (सिविल/विद्युत/यांत्रिक) (समूह 'ग') सेवा नियमावली-2014 के भाग-4 अर्हताओं के बिन्दु संख्या-08 (दो) में उल्लिखित "प्राविधिक शिक्षा परिषद, 30 प्र० से सिविल/विद्युत/यांत्रिक अभियांत्रिकी में तीन वर्षीय डिप्लोमा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता" में समकक्ष अर्हता को स्पष्ट किये जाने हेतु शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश, कानपुर में दिनांक 18.09.2023 को कार्यशाला आयोजित की गयी। कार्यशाला में उपस्थित विषय विशेषज्ञों द्वारा ए०आई०सी०टी०ई० के एपीएच-2023-24 को आधार मानते हुए सिविल/विद्युत/यांत्रिक इंजीनियरिंग विभाग के अन्तर्गत पढाये जा रहे पाठ्यक्रमों पर विचार-विमर्श कर शैक्षिक अर्हता की समकक्षता के संबंध में निर्धारित अभिमत, जो निदेशक प्राविधिक शिक्षा के पत्र सं०-27424/ई-प्रशा०(अर्हता) दिनांक 26.09.2023 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा प्राप्त हुआ, के आधार पर प्राविधिक शिक्षा विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये परामर्श के क्रम में, उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग अवर अभियन्ता (सिविल/विद्युत/यांत्रिक) (समूह 'ग') सेवा नियमावली-2014 के भाग-4 अर्हताओं के बिन्दु संख्या-08 (दो) में उल्लिखित "प्राविधिक शिक्षा परिषद, 30 प्र० से सिविल/विद्युत/यांत्रिक अभियांत्रिकी में तीन वर्षीय डिप्लोमा के समकक्ष सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अर्हता" के रूप में निम्नानुसार डिप्लोमा पाठ्यक्रम मान्य होंगे :-

**(1) निम्नलिखित डिप्लोमा पाठ्यक्रम, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग के समकक्ष हैं:-**

- Civil and Rural Engineering
- Civil (SFS Mode)
- Civil Draftsman
- Civil Engineering
- Civil Engineering and Planning
- Civil Engineering (Building Services Engineering)
- Civil Engineering (Construction Technology)
- Civil Engineering (Construction)
- Civil Engineering (Rural Engineering)
- Civil Technology
- Construction Engineering
- Construction Technology
- Construction Technology and Management
- Geo informatics and Surveying Technology
- Geographic Information System and Global Positioning System
- Quantity Surveying and Construction Management
- Survey Engineering
- Transportation Engineering
- Civil and Environmental Engineering
- Civil (Public Health and Environment) Engineering
- Civil Engineering (Environment and Pollution control)
- Civil Engineering (Environmental Engineering)
- Civil Engineering (Public Health Engineering)
- Civil Environmental Engineering



I/488968/2024

- Environmental Engineering
- Water Resource Management
- Civil Engineering (Water Resource and Management)
- Water Technology and Health Science

(2) निम्नलिखित डिप्लोमा पाठ्यक्रम, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के समकक्ष हैं:-

- Electrical and Electronics (Power System)
- Electrical and Electronics Engineering
- Electrical and Instrumentation Engineering
- Electrical and Mechanical Engineering
- Electrical and Power Engineering
- Electrical Energy Systems
- Electrical Engineering (Instrumentation and Control)
- Electrical Engineering
- Electrical Engineering( Electronics and Power)
- Electrical Engineering (Industrial Control)
- Electrical Machines
- Electrical Power Systems
- Power Systems Engineering
- Electronics and Electrical Engineering

(3) निम्नलिखित डिप्लोमा पाठ्यक्रम, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग के समकक्ष हैं:-

- Automobile Engineering
- Automobile Engineering(Automobile Fitter)
- Automotive Engineering
- Mechanical Engineering(Automobile)
- Mechanical Engineering Automobile
- Energy Systems Engineering
- Heat Power Engineering
- Maintenance Engineering
- Mechanical Engineering(Industry Integrated)
- Mechanical Engineering
- Mechanical Engineering (Maintenance)
- Mechanical Engineering (Refrigeration and Air Conditioning)
- Mechanical Engineering Power Plant Engineering
- Mechanical Engineering Tube Well Engineering
- Mechanical Engineering (Repair and Maintenance)
- Navy Entry Artificer/Diploma in Mechanical and Electrical
- Refrigeration and Air Conditioning
- CAD CAM
- Design and Drafting
- Fabrication Technology
- Fabrication Technology and Erection Engineering
- Foundry Technology
- Industrial and Production Engineering
- Industrial Engineering and Management
- Machine Engineering
- Machine Tools and Maintenance Engineering
- Machine Tools Technology
- Manufacturing Engineering
- Manufacturing Technology
- Material Management
- Mechanical(Computer Aided Design, Manufacture and Engineering)

- Mechanical CAD/CAM
- Mechanical Engineering (Automobile)
- Mechanical Engineering (Tool and Die)
- Mechanical Engineering Automobile
- Mechanical Engineering Production
- Mechanical Engineering Specialization in CAD
- Mechanical Engineering Tool Engineering
- Mechanical Engineering (CAD/CAM)
- Mechanical Engineering (Foundry)(SW)
- Mechanical Engineering (Machine Tool Maintenance and Repairs)
- Mechanical Welding and Sheet Metal Engineering
- Precision Manufacturing
- Production and Industrial Engineering
- Production Engineering
- Production Technology
- Tool and Die Making
- Tool and Die Engineering
- Tool and Die Under Mechanical Engineering
- Tool Die and Mould Making
- Mechatronics
- Robotics and Mechatronics

5- कृपया उक्त निर्धारित समकक्ष अर्हता के अनुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

Digitally Signed by लाल  
धीरेन्द्र राव

(लाल धीरेन्द्र राव) 16:51:10  
Reason: Approved  
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
- 2- सचिव, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता(अधिष्ठान) लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
- 4- कार्मिक अनुभाग-2, उ०प्र० शासन।
- 5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(लाल धीरेन्द्र राव)

विशेष सचिव।